



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122021-231912
CG-DL-E-16122021-231912

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4826] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 15, 2021/अग्राहायण 24, 1943
No. 4826] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021/AGRAHAYANA 24, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5207(अ).—भारत सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 6 की उप-धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2669 (अ) दिनांक 24.09.2015 द्वारा भूमि में उपयोग का अधिकार के अर्जन की घोषणा की थी ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड की संसूचना पर इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूखण्ड जो की, बिछायी गयी पाइपलाइन के संरेखण के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, के डी-नोटिफिकेशन करने की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

और, भारत सरकार उक्त रिपोर्ट पर विचारोपरान्त एवं संतुष्ट होकर, एतद द्वारा संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपयोग का अधिकार के अर्जन को डी-नोटिफाइड घोषित करती है ।

अनुसूची

मंडल/तहसील/तालुका : अंबरनाथ	जिला : ठाणे	राज्य : महाराष्ट्र		
गाँव का नाम	सर्वे सं/सब डिविजन सं.	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	सि-एयर
1	2	3	4	5
1) इंदगाव	40 / 2पी	00	04	29
	40 / 1	00	02	49
2) येरंजड	119 / 15	00	17	71

3) आंबेशिव बुद्रुक	61/2पी	00	11	00
मंडल/तहसील/तालुका : भिवंडी	जिला : ठाणे	राज्य : महाराष्ट्र		
1) दभड	56	00	03	90
2) खालिंग बुद्रुक	112	00	04	02
3) भादाणे	113/3	00	03	51
4) कुरुंद	25/6	00	03	08
	15/7	00	06	61
	29/2	00	00	84
मंडल/तहसील/तालुका : कल्याण	जिला : ठाणे	राज्य : महाराष्ट्र		
1) राये	43/1पी	00	03	03
2) वाहोली	96/6	00	05	00
	14/15	00	33	81

[फा. सं. एल.-14014/134/2021-जी.पी.-II (ई-40120)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th December, 2021

S.O. 5207(E).— Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 2669 (E) dated 24-09-2015 Government of India declared acquisition of Right of User in land, in exercise of the power conferred by sub-section (4) of Section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962).

And whereas, the Competent Authority, on intimation from M/s Reliance Ethane Pipelines Limited, submitted a report requesting to de-notify the land parcels, the schedule annexed here to, which are not falling on the final alignment where the pipeline is laid.

And whereas, Government of India after considering the said report and on being satisfied, hereby declares that the Right of User acquired mentioned in the schedule are de-notified.

SCHEDULE

Mandal/Tehsil/ Taluk: Ambarnath	District : Thane	State: Maharashtra		
Name of Village	Survey No./Sub-Division No.	Area to be acquired for ROU		
		Hec.	Are	C-Are
1	2	3	4	5
1) Indgaon	40/2P	00	04	29
	40/1	00	02	49
1) Yeranjad	119/15	00	17	71
1) Ambeshiv Budruk	61/2P	00	11	00
Mandal/Tehsil/ Taluk: Bhiwandi	District : Thane	State: Maharashtra		
1) Dabhad	56	00	03	90
2) Khaling Budruk	112	00	04	02
3) Bhadane	113/3	00	03	51
4) Kurund	25/6	00	03	08
	25/7	00	06	61
	29/2	00	00	84
Mandal/Tehsil/ Taluk: Kalyan	District : Thane	State: Maharashtra		
1) Raye	43/1P	00	03	03
2) Vaholi	96/6	00	05	00
	14/15	00	33	81

[F. No. L-14014/134/2021-GP-II (E-40120)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.